



उलंघन पत्र

रजि.ए .डी.

भारत सरकार

खान मंत्रालय

भारतीय खान ब्यूरो, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर

दूसरी मंजील, जीएसआई फील्ड प्रशिक्षण केन्द्र

महालेखाकार आफिस कोम्प्लेक्स, पोस्ट-विधान सभा- रायपुर- (छ.ग)-492005

फोन- 0771--2282530/2285590/95 [मेल- ro.raipur.ibm@gmail.com](mailto:mel-ro.raipur.ibm@gmail.com)

No- CHG/DRG/LST-39/NGP

दिनांक -11/06/2019

प्रेषित- श्री संजय अग्रवाल, खान मालिक  
37/3, नेहरू नगर (पूर्व)  
अग्रसेन चौक के पास, भिलाई  
जिला-दुर्ग (C.G)-490020

विषय- छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर जिले में स्थित आपकी **नंदिनी-खुनदिनी** चूना खान (Area 2.03 Ha.) . में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियमों के उलंघन के संबंध में-

महोदय

The following provisions of Mineral Conservation and Development Rules, 2017 were found violated during inspection of the above mine on 29.03.2019 by undersigned accompanied by Shri Sanjay Agarwal, Mine Owner

Rule	Nature of Violation observed
Rule 45(5)(b)	The total production reported in monthly return from april'17 to march'18 is 20 tons but in annual return it is mentioned 40 tons.
Rule 45(5)©	While scrutiny of the Annual return submitted for 2017-18 it is observed that reserves and cost of production in return are mentioned wrongly. The cost of production is mentioned Nil whereas Ex-mine price is Rs 400/- and fixed asset is shown Nil.

- 2 इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। एवम इस नियम का उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 45(7) के अंतर्गत
- (क) खान की सारी खनन संक्रियाएं बंद की जा सकती है।  
(ख) आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है।
- 3 अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशिघ्र सुधार करें एवम इसके सुधार की सूचना इस पत्र के जारी होने से 45 दिन के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

भवदीय

(राजेश कुमार दास)

वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक

भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर

प्रतिलिपि – for information please

- 1 खान नियंत्रक(मध्य), भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर
- 2 संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म, छत्तीसगढ़, इंद्रावती भवन, द्वितीय तल, डी ब्लॉक, केपिटल कॉम्प्लेक्स, नया रायपुर, छत्तीसगढ़

वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक

भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर

